राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ राज जयपुर

क्रमांक :–ई–11 / नर्स–2 / (ई–1038) / एमएससी / 19–20 / दिनाक

सयोजक,

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

सैक्टर 18,कुम्भा मार्ग,प्रताप नगर,टोंक रोड,

जयपुर।

विषय सत्र 2019–20 मे एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन अग्रेषित किये जान बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसरण मे राज्य सेवा मे नर्सिंग सवर्ग मे कार्यरत निम्नाकित कर्मियो के एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

क.स	नाम कर्मचारी एंव पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	निदेशालय मे प्राप्त आवेदन दिनाक
1	रामेश्वर दयाल पाठक	क्षय निवारण केन्द्र,भरतपुर	02 04 2008	24 10 2019

संलग्न मूल आवेदन(1)

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राज0 जयपुर

क्रमाक ई–11 / नर्स–2 / (ई–1038) / एमएससी / 19–20 / 891 दिनाक 5/12/19

प्रतिलिपिःनिम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1–सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कर्मियो के आवेदन निम्न शर्तो पर अग्रेषित किये जा रहे है–

1–नियमानुसार स्वयं का अवकाश / अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा ।

2–उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।

3–प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरत विभाग मे अपनी उपस्थिति देगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

4–कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।

5–राजस्थान सेवा नियमो मे उल्लेखित प्रावधानो की पूर्ण पालना की जावेगी।

6– नियमानुसार बध–पत्र भरना होगा ।

7–पूर्व मे जिन कर्मियो ने राज्य सेवा मे कार्यरत रहते हुऐ पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति पर की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नही माने जाने के कारण इन्हें एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण स्वय के बकाया अवकाश (उपार्जित / अर्द्धवैतनिक / असाधारण) पर यह प्रशिक्षण करना होगा एव इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे यह अध्ययन स्वय के बकाया अवकाश (उपार्जित / अर्द्धवैतनिक असाधारण) पर करेंगे अन्यथा अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति की माग नही करेंगे ।

8–संविदा / प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मी उक्त प्रशिक्षण मे चयन होने पर पात्र नही माने जावेगे ।

2. सबधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

3 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।